न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी :– हरभान मीणा, आर.ए.एस

अपील संख्या – 263/2017/225 आर टी ए

1. लालीदेवी पत्नि कासीराम जाति जाट निवासी डोबी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
2. गोपीराम पुत्र कासीराम जाति जाट निवासी डोबी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
3. विमला पुत्री कासीराम पत्नि भरतसिंह जाति जाट निवासी गांव डोबी हाल निवासी राजपरिया तहसील सिरसा।
4. सुमित्रा पुत्री कासीराम पत्नि ठाकर जाति जाट निवासी गांव डोबी हाल निवासी मुन्सरी तहसील भादरा।

––अपीलांट

बनाम

1. वीरसिंह पुत्र रामकरण जाति जाट निवासी गांव डोबी तहसील भादरा।
2. महेन्द्रसिंह पुत्र कासीराम जाति जाट निवासी गांव डोबी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
3. स्टेट ऑफ राज0 जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

–– रेस्पोडेंटस

अपील विरूद्व आदेश दिनांक 12.07.2017 न्यायालय उपखण्डाधिकारी भादरा
प्र0सं0 53/2016 बअनवानी वीरसिंह बनाम लालीदेवी आदि

उपस्थित :–
श्री खेताराम अधिवक्ता अपीलांटस
श्री विजयसिंह कड़वासरा अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 1 व 2
श्री खुशकरणसिंह खोसा राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 3

निर्णय दिनांकः–10.08.2018

1. प्रकरण के तथ्यं संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पो0 सं. 1 व 2 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र शर्त 8 (2) राजस्थान कोलोनाईजेशन जनरल कन्डीशन के तहत प्रस्तुत कर अपनी खातेदारी भूमि मे आने जाने के लिए रास्ता की आवश्यकता प्रकट करते हुए अपीलांट की खातेदारी भूमि मे रास्ता स्वीकृत किये जाने अनुतोष चाहा जिसमे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश पारित करते हुए रास्ता स्वीकृत किया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की है।
2. उभय पक्ष विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।
3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अप्रार्थी के मु.न. 27 कि. न. 13 के उत्तरी पूर्वी कोने से मार्ग चलना बताकर भादरा राजगढ़ सड़क से मु.न. 27 के कि.न. 13 व 12 के उत्तरी सीमा से पूर्व पश्चिम रास्ता चालू होना बताकर रेस्पो0 सं. 1 वीरसिंह द्वारा अपने खेत मु.न. 26 के कि.न. 11 मे पहुंचना बताकर आवेदन पेश किया गया था जिसमे कोई रास्ता कभी भी चालू नही रहा, केवल मात्र झूठे तथ्य एवं एकतरफा पटवारी रिपोर्ट के आधार पर विचारण न्यायालय द्वारा रेस्पो0 सं. 1 की भूमि मे

WEB Copy - Not Official

पहुंचने के लिए गांव डोबी से चलकर कटान का मार्ग माजूद होते हुये जो नया रास्ता चक 12 बीएचडी के मु.न. 27 कि.न. 12 मे 82 फुट लम्बाई 81/4 फुट रकबा 0.009 है0 तथा कि.न. 13 मे 120 फुट लम्बाई 81/4 फुट चौडाई रकबा 0.006 है0 मे पूर्व पश्चिम उत्तरी सीमा से रास्ता स्वीकृति का आदेश चालू रास्ता बन्द होना मानकर व मौका पर खाला पर पुलियां नही होना बताकर रास्ता स्वीकृत किया गया है जो काबिले खारिज है। रेस्पो0 सं. 1 के खेत मे पहुंचने के लिए जो चालू रास्ता वर्तमान मे भी चालू है वह ग्राम डोबी से शुरू होकर पश्चिम दिशा मे मु.न. 21, 32, 33, 34, 35 से होते हुए उत्तर दिशा मे चलकर मु.न. 27 मे होते हुये उत्तर दिशा की ओर चलकर मु.न. 26 मे प्रवेश करता है जो कि रास्ता वर्तमान मे चालू है एवं कभी भी बन्द नही हुआ है। अधीनस्थ न्यायालय ने केवल मात्र हल्का पटवारी की एकतरफा रिपोर्ट जिसमे उक्त मार्ग 50 वर्षो से बन्द होना बताया है जो कि हल्का पटवारी रिपोर्ट दिनांक 04.07.17 कानूनन विधि सम्मत नही होने के कारण जो निर्णय पारित किया गया है वह निर्णय विधि विरूद्ध है। मौका पर वैकल्पिक रास्ता रेस्पो0 सं. 1 की खातेदारी भूमि मे पहुंचने के लिए उपलब्ध है जो रास्ता आगे तक चालू है व सभी काश्तकार इसी रास्ता से आवागमन करते है व जो खाला मु.न. 35 मे बताया हुआ है इस पर पुलिया लगना नही बताया है उक्त खाला से काश्तकारो के अपने खेतो मे आवागमन के लिए पुरा रास्ता चालू है जिसकी रंगीन फोटो संलग्न है। जिसमे खाला मे से रास्ता चालू होना स्पष्ट दर्शित है। इस प्रकार रेस्पो. द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष झूठे तथ्य व हल्का पटवारी की मिथ्या रिपोर्ट पेश करवाकर जो नया रास्ता स्वीकृत कराने का निर्णय पारित किया गया है वह विधि विरूद्ध होने के कारण खारिज योग्य है। अधिवक्ता अपीलांटस ने अपनी बहस के समर्थन मे आरआरडी 2017 पेज 515, आरआरडी 2017 पेज 294, आरआरडी 2017 पेज 734 न्यायिक दृष्टांत पेश किये। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावें।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पो0 ने अपनी बहस मे अपील मे वर्णित तथ्यो का खण्डन करते हुए कथन किया कि रेस्पो0 सं. 1 को अपने खेत मे आने जाने के लिए रास्ता आवश्यकता प्रकट करते हुए अपीलांटस की भूमि मे से रास्ता स्वीकृत करवाने बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। अपीलांटस द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का विरोध किया गया है परन्तु अप्रार्थी/रेस्पो0 सं. 2 महेन्द्रसिंह द्वारा उपस्थित होकर राजीनामा पेश किया गया जिसमे रेस्पो0 सं. 1/प्रार्थी को रास्ता उपलब्ध नही होने का कथन किया गया और प्रश्नगत रास्ता स्वीकृत किये जाने का कथन किया गया। अपीलांटस व

रेस्पो0 सं. 2 कासीराम के वारिसान है जिनके नाम सांझा खाते मे भूमि है। अर्सा 40 वर्ष पूर्व खाता विभाजन किया गया था। मु.न. 27 के कि.न. 13 व 12 के उतरी सीमा पर पूर्व से पश्चिम सहमति से रास्ता छोड़ा। इससे आवागमन होता रहा है और यही रास्ता अनुतोष मांगा गया है। अपीलांट का यह तर्क कि मु.न. 27 कि.न. 22 व 23 मे से रास्ता पूर्व मे था वह रास्ता बन्द है। इस रास्ता पर सिद्धमुख परियोजना के डोभी माईनर के 6 न. खाला का निर्माण हो चुका है जिसकी उंचाई धरातल से 15 फिट है इतनी उंचाई पर पुलिया निर्माण सम्भव नही है। मु.न. 27 मे रेस्पो0 महेन्द्रकुमार खातेदार है जिसने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजीनामा पेश किया था। प्रश्नगत चाहे गये रास्त के अलावा अन्य कोई सुविधाजनक रास्ता नही है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली पर अतः अपील अपीलांट खारिज योग्य होने के कारण अपील खारिज की जावें।

5. उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का ससम्मान अध्ययन किया गया। पत्रावली का अवलोकन करने एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे संलग्न दस्तावेजो का अवलोकन करने उपरांत निष्कर्ष है कि रेस्पो0 सं. 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र राजस्थान उपनिवेशन (सामान्य उपनिवेश) शर्ते 1955 शर्त 8 (2) के तहत पेश कर अपने खेत मे आने जाने के लिए अपीलांटस की भूमि मे से चक 12 बीएचडी के मु.न. 27 कि.न. 12 मे 82 फुट लम्बाई 81/4 फुट रकबा 0.009 है0 तथा कि.न. 13 मे 120 फुट लम्बाई 81/4 फुट चौडाई रकबा 0.006 है0 मे पूर्व पश्चिम उत्तरी सीमा से रास्ता स्वीकृत करवाने का अनुतोष चाहा गया। जबकि अपीलांट के कथनानुसार खाता विभाजन मे पूर्व उक्त रकबा का जोड़ने के वाला स्वीकृतशुदा रास्ता मु.न. 35 कि.न. 1 ता 5 मे है तथा मौका पर चालू है तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे संलग्न पटवारी हल्का के अनुसार खाता विभाजन मे पूर्व उक्त रकबा का जोड़ने के वाला स्वीकृतशुदा रास्ता मु.न. 35 कि.न. 1 ता 5 मे रास्ता स्वीकृत है परन्तु खाला बनने एवं खाला पर पुलिया नही बनने के कारण उक्त रास्ता बन्द है। इस प्रकार यह स्थिति स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि के खाता विभाजन के समय रास्ता खाला की सुविधा प्रदत्त की गई थी जिसके अनुसार मु.न. 35 कि.न. 1 ता 5 रास्ता स्वीकृत किया गया जो आगे की भूमि के लिए भी स्वीकृत है। ऐसी स्थिति मे रेस्पो0 सं. 1 को स्वीकृतशुदा रास्ता मौजूद था मात्र रास्ता मे खाला होने तथा खाला पर पुलिया नही होने के कारण नया रास्ता स्वीकृत किया गया है जो विधिपूर्ण नही है। साथ ही अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रकरण मे राजस्थान उपनिवेशन (सामान्य उपनिवेश) शर्ते 1955

शर्त 8 (2) के तहत रास्ता का अनुतोष चाहा गया जबकि रास्ता के संबंध मे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए के अन्तर्गत कार्यवाही की जानी चाहिए थी। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए के अनुसरण मे राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 69 के प्रावधानों के अनुसार भू–अभिलेख निरीक्षक या उससे उच्च स्तर के राजस्व अधिकारी द्वारा पक्षकारान को सूचित करते हुए तहसीलदार स्वयं मौका निरीक्षण कर रास्ता स्वीकृति के संबंध मे मौका रिर्पोट प्राप्त करने के उपरांत नियमानुसार रास्ता के आवेदन का निस्तारण किया जाना आपेक्षित है। ऐसी स्थिति मे अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय अपास्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित है।

6. अतः उक्त विवेचन के अनुसार अपील अपीलाण्ट स्वीकार योग्य होने के कारण अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 12.07.2017 अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण मे धारा 251ए आरटीए के तहत दर्ज करते हुए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए के अन्तर्गत कार्यवाही हेतु राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 69 के प्रावधानों के अनुसार भू–अभिलेख निरीक्षक या उससे उच्च स्तर के राजस्व अधिकारी द्वारा तहसीलदार स्वयं द्वारा मौका निरीक्षण कर रास्ता स्वीकृति के संबंध मे मौका रिर्पोट प्राप्त करने के उपरांत वैकल्पिक रास्ता जो कि स्वीकृतशुदा है, के संबंध मे उभय पक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर पुनः नये सिरे से निर्णय पारित करें। तहसीलदार भादरा को आदेशित किया जाता है कि अपीलाधीन आदेश से पूर्व की राजस्व रिकार्ड की स्थिति बहाल की जावे। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित लौटाई जावें। उभय पक्ष अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 10.09.2018 को उपस्थित हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर की जावें।

निर्णय आज दिनांक 10.08.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हरभान मीणा) आर..ए.एस
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official